न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1234/2026

CNRNo.UPGD010036382026

1–रामधन उर्फ धांधू पुत्र शिव प्रसाद,

निवासी–ग्राम श्रीजोत, थाना–कटरा बाजार, जिला–गोण्डा।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

सरकार उ०प्र०।

..... **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–107/2024

धारा–323, 504, 506, 342 भा.दं.सं.

थाना–कटरा बाजार, जिला–गोण्डा।

दिनांक–08.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **रामधन उर्फ धांधू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–107/2024, धारा–323, 504, 506, 342 भा.दं.सं., थाना–कटरा बाजार, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक–25.05.2026 से अन्तरिम जमानत पर है और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र राम जियावन चमार गांव श्रीजोत मौजा पूरे बहोरी थाना–कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा का निवासी हूँ। प्रार्थी के साथ बिजनौर से गांव के ही रामधन उर्फ धाधू पुत्र गुल्ले उर्फ शिव प्रसाद मजदूरी करता था, जिसे प्रार्थी के मु०–15000/–रूपये प्रत्येक माह जलाई सन 2023 को उधार दिये थे और उसने काम करके रूपये पटा देने को आवश्वासन दिया था जो उक्त रुपये को लेकर बिना बताये चोरी से घर चला गया प्रार्थी ने घर पर आकर कल दिनांक–02.04.2024 को समय करीब 8.30 बजे सुबह गांव के ही सूर्यमणि शुक्ला के दुकान के सामने सड़क पर विपक्षी से अपने रूपये की मांग किया तो विपक्षी आमादा फौजदार होकर भद्दी–भद्दी गाली देने लगा प्रार्थी ने गाली देने से मना किया कि इतने में गांव के ही चन्द्रमणि शुक्ल उर्फ बुढऊ शुक्ला पुत्र रामखेलावन शुक्ला आ गये और विपक्षी को ललकारने लगे कि मारो चमार साले मादरचोद को भागने न पाये ये कब का पैसा देना वाला है, बडा जीमीदार है जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये जान से मारने की धमकी दिया तथा लात मूका थप्पड से मारने लगे उसी को लेकर मेरा छोटा भाई चन्द्रभान पुत्र राम जियावन अनुसूचित जाति

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.04 10:40:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(चमार) है ये अपने खेत में मक्के की रखवाली करने जा रहे रहे थे तभी चन्द्रमणि शुक्ल उर्फ बुढउ शुक्ला व रामधन उर्फ धाधू पुत्र शिव प्रसाद उर्फ गुल्ले ने चन्द्रभान को मक्के के खेत जाते देखा उसी समय 10.30 बजे रात्रि में सडक से पवन कुमार शुक्ल के खेत में पकड ले गये और लडके के गमछे से उसका हाथ पैर बांध दिया उसी के साइकिल में बांध दिया व गला दबाकर लात मूका थप्पड व डन्डे से मारने लगे चन्द्रमणि शुक्ल ने ललकारा कि इसी वक्त चमार साले मादचोद की हत्या कर दो भागने न पाये लडके के चिल्लाने की आवाज पर प्रार्थी व अन्य गांव के लोगो ने दौडकर लडके की जान बचाई व गमछे से बाधा हाथ पैर खोला उसके बाद डायल 112 पर फोन किया घटना की इतला दिया। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–कटरा बाजार, जिला–गोण्डा में दिनांक–03.04.2024 को 16.40 बजे, रामधन उर्फ धाधू व चन्द्रमणि शुक्ल उर्फ बुढऊ शुक्ल के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 341 भा.दं.सं. व 3(1)द, ध व 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट, पंजीकृत की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी द्वारा कोई घटना कारित नहीं किया गया है वादी मुकदमा व पुलिस द्वारा रंजिशन फंसाया गया है। अपराध चार्जसीटेड है, वादी के मेली मदद्गार के साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। घटना के बावत कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी जमानत के उपरान्त गवाहों पर कोई बेजा दबाव नहीं डालेगा तथा न्यायालय के आदेशानुसार हाजिर अदालत होता रहेगा। प्रार्थी को उचित जमानत व मुचलका पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचक जितेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक–02.04.2024 को आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्त द्वारा जातिसूचक गाली देते हुए मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिलों की आघात आख्या के अनुसार चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की होना दर्शित है। मामलें में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है। सहअभियुक्त चन्द्रमणि उर्फ बुड़ऊ की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक–08.01.2025 को स्वीकार की जा चुकी है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों

को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **रामधन उर्फ धांधू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–107/2024, धारा–323, 504, 506, 342 भा.दं.सं., थाना–कटरा बाजार, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1234/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–08.06.2026

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751